न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
27 / 2016 / प्रा.पत्र / 2016	23.02.2016	27.07.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक .... प्रार्थी

बनाम

1—खाद्य कारोबारकर्ता श्री विमल कुमार जैन पुत्र श्री उमराव मल जैन जाति महाजन निवासी बडा बाजार निवाई जिला टोंक मैसर्स सुधीर क्वालिटी स्टोर बडा बाजार निवाई जिला टोंक
2— मैसर्स सुधीर क्वालिटी स्टोर बडा बाजार निवाई जिला टोंक
3—श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री पारस मल प्रोपरायटर मैसर्स जे.के. एजेन्सीज सब्जी मण्डी के पास गोदाम वालों का कटला निवाई जिला टोंक निवासी कृष्णा कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज.
4—मैसर्स जे.के. एजेन्सीज सब्जी मण्डी के पास गोदाम वालों का कटला निवाई जिला टोंक
5—श्री विरेन्द्र सिरवी पुत्र श्री पुखराज सिरवी प्रोपरायटर मैसर्स आई.जी. फूड्स एण्ड स्नेक्स ए—1—2, वर्धमान नगर अजमेर रोड हीरापुरा जयपुर राज.
6— मैसर्स आई.जी. फूड्स एण्ड स्नेक्स ए—1—2, वर्धमान नगर अजमेर रोड हीरापुरा जयपुर राज.
7—श्री शिवरतन अग्रवाल डायरेक्टर मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ / 196—199, बिछावल इण्डस्ट्रीज एरिया, बीकानेर
8—श्री केदार चन्द अग्रवाल डायरेक्टर मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ / 196—199, बिछावल इण्डस्ट्रीज एरिया, बीकानेर
9—श्रीमति सुशीला देवी डायरेक्टर मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ / 196—199, बिछावल इण्डस्ट्रीज एरिया, बीकानेर
10—श्री दीपक अग्रवाल डायरेक्टर मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ / 196—199, बिछावल इण्डस्ट्रीज एरिया, बीकानेर
11—श्रीमति श्वेता अग्रवाल डायरेक्टर मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ / 196—199, बिछावल इण्डस्ट्रीज एरिया, बीकानेर
12—श्री श्रवण कुमार जेसरिया डायरेक्टर मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ / 196—199, बिछावल इण्डस्ट्रीज एरिया, बीकानेर
13—श्रीमति संगीता देवी जेसनसरिया डायरेक्टर मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ / 196—199, बिछावल इण्डस्ट्रीज एरिया, बीकानेर
14—मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ / 196—199, बिछावल इण्डस्ट्रीज एरिया, बीकानेर

.... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार उप.।
2—अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित ।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

:—निर्णय—: दिनांक 27.07.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.11.2015 को समय 12:30 पीएम पर मैसर्स सुधीर क्वालिटी स्टोर बडा बाजार निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर श्री विमल कुमार जैन पुत्र श्री उमराव मल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री विमल कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान की रैक में 1.25 किलोग्राम पैक के लगभग 50 पैकेट पैक्ड अवस्था में **गुलाब जामून (बीकाजी ब्राण्ड)** रखा हुआ था जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री विमल कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री विमल कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **गुलाब जामून (बीकाजी ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 15के99 एवं पैकिंग की दिनांक 01 नवम्बर 2015 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 1.25 किलोग्राम के चार पैकेट खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **गुलाब जामून (बीकाजी ब्राण्ड)** 1.25 किलोग्राम के चार पैकेट प्रत्येक 1.25 किलोग्राम पैक को एक–एक पैकेट के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1192 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1192 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

श्री विमल कुमार जैन पुत्र श्री उमराव मल जैन मैसर्स सुधीर क्वालिटी स्टोर बडा बाजार निवाई जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स मैसर्स जे.के. एजेन्सीज सब्जी मण्डी के पास गोदाम वालों का कटला निवाई जिला टोंक का बिल पेश किया जिससे पत्र व्यवहार करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स आई.जी. फूड्स एण्ड स्नेक्स ए–1–2, वर्धमान नगर अजमेर रोड हीरापुरा जयपुर राज.का वारंटी बिल पेश किया। आवेदक द्वारा मैसर्स मैसर्स आई. जी. फूड्स एण्ड स्नेक्स ए–1–2, वर्धमान नगर अजमेर रोड हीरापुरा जयपुर राज. को पत्र

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक (मोहर)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रेषित कर आवश्यक दस्तावेज चाहे गये तो उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र, फार्म–बी एवं मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ/196–199, बिछावल इण्डस्ट्रीज एरिया, बीकानेर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/4681 दिनांक 03.12.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट स. एल.एस./909/एक्ट/2015/846 दिनांक 18.11.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया **गुलाब जामून (बीकाजी ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्म के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 02.08.2019 को अप्रार्थी सं. 1 ता 4 न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए एवं जवाब हेतु समय चाहा। परन्तु कई अवसर देने के बावजूद कोई जवाब पेश नहीं किया। दिनांक 10.11.2016 को अप्रार्थी सं. 5 व 6 की ओर से श्री नवरत्न नामा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश करने का अण्डरटेकिंग दिया और वकालतनामा पेश करने का समय चाहा। परन्तु अभिभाषक अप्रार्थीगणों को कई अवसर देने के बावजूद भी कोई वकालतनामा पेश नहीं किया गया और ना ही अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **गुलाब जामून (बीकाजी ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **गुलाब जामून (बीकाजी ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 50,000 (अक्षरे पचास हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 50,000 (अक्षरे पचास हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 2,00,000/–(अक्षरे दो लाख रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 7 ता 14 पर कुल शास्ति रूपये 4,75,000 (अक्षरे चार लाख पचहत्तर हजार रूपये) तथा आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 27.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज 27.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0